


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत माहेस्वरी देवी पति- अनिल साव ग्राम: कुण्डी , थाना : टंडवा जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम कुण्डी थाना सं.-27 (रैयती भूमि) खाता सं.- 2, के अधीन प्लॉट सं.- 20, 54, 150, 156, 303, 336, 337, 187, 109P, 265, 278, 284, 296, 367; खाता सं.- 24, के अधीन प्लॉट सं. -168, 315; खाता सं.- 5, के अधीन प्लॉट सं. -291; खाता सं.- 4, के अधीन प्लॉट सं. -148, 149, 151; ग्राम देवलगड़ा थाना सं.-28 (रैयती भूमि) खाता सं.- 2, के अधीन प्लॉट सं. - 51, 54, 55, 74, 150, 168, 237; खाता सं.- 17, के अधीन प्लॉट सं. - 212; ग्राम सराढ़ थाना सं.- 29 (रैयती भूमि) खाता सं.- 50 के अधीन प्लॉट सं. - 471, 468, 469; खाता सं.- 274 के अधीन प्लॉट सं. -521; ग्राम चमातु थाना सं.- 56 (रैयती भूमि) खाता सं.- 110 के अधीन प्लॉट सं. - 2383, 2386, 2399; कुल रकबा: - 02.0012 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
5.10.24